आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तिथि सहित।

23/03/21

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0पी0 वाद सं0 11/2012-13

मो0 तबारक हुसैन -बनाम- मो0 अबरार

आवेदकः-

1. मो0 तबारक हुसैन, पे0-शेख जलील, सचिव मदरसा दीनी एदारा फैजानुल कुरआन, छोटी कोदरजन्ना, थाना-मुफसिल, जिला-साहेबगंज।

विपक्षीः-

1. मो0 अबरार, पे0-स्व0 शेख शम्बुल, सा0-छोटी कोदरजन्ना, थाना-मुफसिल, जिला-साहेबगंज।

-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद आवेदक मो0 तबारक हुसैन, पे0-शेख जलील, सचिव, मदरसा दीनी एदारा, फैजानुल कुरआन, थाना-मुफसिल, जिला-साहेबगंज के द्वारा दाखिल आवेदन पर संतुष्ट होकर दिनांक 31.10.2012 को अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर सूचना दी गई एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज/अंचल अधिकारी, साहेबगंज से प्रतिवेदन की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षी कारण पृच्छा के साथ उपस्थित।

अंचल अधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 240/रा0, दिनांक 29.05.2013 एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 1643/वि0, दिनांक 13.11.2013 से प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत गंगा प्रसाद पश्चिम मध्य स्थित छोटी कोदरजन्ना के जमाबंदी नं0-41, चौहद्दी उत्तर-शेख हमीद, दक्षिण-शफी अहमद, पूरब-मदरसा एवं मदरसा की मजीन, पश्चिम-ग्रामीण सड़क रकवा 04 कट्ठा 10 धूर (चार कट्ठा दस धूर) जमीन पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम योजना संख्या 01/2011-12 द्वारा गार्ड वाल एवं मिट्टी भराई का काम किया गया है। उक्त भूमि पर विपक्षी द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाने का कार्य प्रारंभ करने की तैयारी में है। विपक्षी द्वारा जबरन गैर कानूनी करीका से मदरसा की जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया है।

आगे आवेदक द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है। इस आशय की सूचना संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज, अंचल अधिकारी, साहेबगंज, अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज, उप विकास आयुक्त, साहेबगंज एवं उपायुक्त, साहेबगंज को 10.03.2012 को आवेदन प्रेषित किया गया। उक्त भूमि सचिव, मदरसा दीनी एदारा, फैजानुल कुरआन, थाना-मुफसिल, जिला-साहेबगंज ने मौजा-सुन्दरपुर जमाबंदी नं0-41 रकवा 04 कट्ठा 10 धूर भूमि मदरसा फैजानुल कुरआन के नाम से एकरारनामा से प्राप्त किया गया है, जिसका मालिक संस्था मदरसा है। उक्त भूमि को विपक्षी अबरार, पिता-स्व0 शेख सम्बुल निवासी-छोटी कोदरजन्ना, थाना-मुफसिल, जिला-साहेबगंज ने शपथ पत्र सं0-2963 दिनांक 15.10.2011 के द्वारा अपना पैतृक जमीन जिसपर इनका शांतिपूर्ण दखल मौजा-सुन्दरपुर, जमाबंदी नं0-41 रकवा 09 कट्ठा 05 धूर जमीन अपनी स्वेच्छा से मनरेगा योजना के तहत

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2

मिट्टी भराई एवं जमीन समतलीकरण हेतु दिया।

आगे आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि प्रश्नगत भूमि पर सरकारी योजना सं0–01/2011–12 के द्वारा 100 फीट चौड़ा 100 फीट लंबा तथा 12 फीट गहरा मिट्टी भराई किया गया है। उस प्रश्नगत भूमि में विपक्षी द्वारा जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया गया है। उनके द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

जवाब में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि वादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत उचित कानूनी कार्रवाई करने की प्रार्थना किया गया। जबकि प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरणीय/विक्रयशील हैं। हस्तान्तरणीय भूमि की कार्रवाई संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में लागू नहीं होता है। इसलिए वाद को खारीज किया जाना चाहिए। वादी द्वारा मौजा–छोटी कोदरजन्ना के जमाबंदी नं0–41 का दावा किया जा रहा है, लेकिन मौजा–सुन्दरपुर में जमाबंदी संख्या 41 है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादी का दावा है कि प्रश्नगत भूमि में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जमाबंदी नं0–382 की भूमि पर गार्ड वाल एवं मिट्टी भराई की स्वीकृति तत्कालीन उपायुक्त महोदय–सह–समन्वयक द्वारा दिया गया था, लेकिन आवेदक का कहना है कि जमाबंदी नं0–41 पर गार्ड वाल एवं मिट्टी भराई किया गया है। जबकि जमाबंदी नं0–41 पर किसी का आदेश नहीं है। आवेदकगण द्वारा किसके आदेश से सरकारी राजस्व की निकासी गलत रूप से किया गया। इस गलती को छुपाने के लिए विपक्षी पर झूठा वाद दायर कर परेशान किया जा रहा है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक द्वारा बताया गया कि मौजा–सुन्दरपुर कोदरजन्ना जमाबंदी नं0–41 रकवा 04 कट्ठा 10 धूर भूमि फैजानुल कुरआन के नाम से एकरारनामा द्वारा प्राप्त किया हुआ है। जबकि उक्त भूमि विपक्षी मो0 अबरार की है, जो कभी भी अपनी जमीन उक्त संस्था को दान में या बिक्री नहीं किया है। वादी एक जाली शपथ पत्र बनाकर विपक्षी की भूमि हड़पना चाहता है और वादी किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

आगे अपने तर्क में यह भी कहा कि वादी अपने आवेदन के पारा–05 में 04 कट्ठा 10 धूर जमीन एकरारनामा से प्राप्त होने की बात कह रहे हैं। पारा–6 में यह बात स्वीकार करते है कि उक्त भूमि मदरसा संस्था ने अपनी स्वेच्छा से मनरेगा के तहत भूमि समतलीकरण हेतु दिया है, जो मदरसा संस्था के काम में आये। वादी द्वारा शपथ पत्र संख्या 2963/11 दिनांक 15.10.2011 की बात कही है। वह शपथ पत्र विपक्षी मो0 अबरार द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है और न ही उसपर मो0 अबरार का हस्ताक्षर है। पूर्व में वादी द्वारा जमाबंदी नं0–382 पर ही कार्यवाही की प्रार्थना की थी और शपथ पत्र जमाबंदी नं0–382 का बनाया गया। जब विपक्षी जमाबंदी नं0–41 बताया तो जमाबंदी नं0–41 पर दावा प्रस्तुत कर रहे है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन को खारीज करने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 240/रा0, दिनांक 09.05.2013 से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि वादी द्वारा पूर्व में जमाबंदी नं0–382 का उल्लेख किया गया था। जाँच के दौरान पाया गया कि जमाबंदी नं0–382 में कोई काम नहीं हुआ है। स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि जमाबंदी नं0–41 पर काम हुआ है। आवेदन में दिया गया मदरसा मौजा–सुन्दरपुर के जमाबंदी नं0–41 पर अवस्थित है। पंजी–II के अनुसार जमाबंदी नं0–41 शेख रज्जाक के नाम से दर्ज है। मदरसा के सचिव द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया। सचिव द्वारा बताया गया कि जमीन मालिक द्वारा मौखिक रूप से दिया गया है, जिसका रकवा 04 कट्ठा है। जमाबंदी नं0–41 में कुल रकवा 05 बीघा 10 कट्ठा 06 धूर 10 धूर जमीन पंजी–II में दर्ज है। विपक्षी अबरार द्वारा निबंधित केवाला सं0–2880/1960 दिखाया गया, जो आवेदक के दादा शेख नवाद अली वो शेख वाजिद

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की गई तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	3	

अली, पिता–शेख जफर अली वो कुददुस, पिता–शेख मौला बक्श से 08 कट्ठा 01 धूर जमीन प्राप्त है। इसी के अंश रकवा 04 कट्ठा जमीन दूसरे पक्षकारों ने मदरसा को दिया है। विपक्षी अबरार ने बताया कि मदरसा को कभी जमीन नहीं दिया हूँ। पूरे जमीन पर गार्ड वाल एवं मिट्टी भराई का काम किया गया है।

अंचल अधिकारी, साहेबगंज अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि आवेदन में जमाबंदी नं0–382 को कटिंग कर जमाबंदी नं0–41 अंकित किया गया है। मो0 अबरार के द्वारा किया गया शपथ पत्र में भी जमाबंदी नं0 के स्थान पर कटिंग किया गया है। शपथ पत्र संख्या 2691/11 दिनांक 15.10.2011 हैं। प्रश्नगत भूमि का आधा हिस्सादार विपक्षी मो0 अबरार है।

अतएव उभय पक्षों को विज्ञ अधिवक्ता के सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं अंचल अधिकारी, साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–सुन्दरपुर कोदरजन्ना के जामबंदी नं0–41 रकवा 08 कट्ठा 01 धूर भूमि है, जो विपक्षी के पूर्वज द्वारा निबंधित केवाला सं0–2880/1960 द्वारा शेख नावाद अली वो शेख वाजिद अली, पे0–शेख जफर वो मु0 कुददुस अली पे0–शेख मौला बक्श से खरीद कर प्राप्त किये है। उक्त जमाबंदी के रकवा 08 कट्ठा 01 धूर दूसरे पक्षकारों द्वारा मदरसा को दी गई है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि जमाबंदी नं0–382 को काटकर जमाबंदी नं0–41 किया गया है। विपक्षी द्वारा यह भी बतलाया गया कि उनलोगों द्वारा जमाबंदी नं0–41 का दावा कर गलत शपथ पत्र बनाया गया।

विपक्षी ममो0 अबरार ने बताया कि मेरे द्वारा कोई शपथ पत्र निर्गत नहीं किया गया है और ना ही जमीन मदरसा संस्था को दिया गया है।

अतः उक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त दाखिल आवेदन को खारीज किया जाता है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को दिखावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 23/3/17
उपायुक्त
साहेबगंज।

(हस्ताक्षर) 23/3/17
उपायुक्त
साहेबगंज।

(दाहिने स्तंभ में हस्तलिखित:) ज्ञापांक 272/डी0सी0 25.11.2021

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.01.13 13:57:02 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner